कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांकः– शिविरा/माध्य/ विजांच/110055/43/09/ दिनांक 24.04.2009 के तहत श्री सूरजप्रकाश शर्मा सेवानिवृत(31.12.12) व्या.इतिहास राउमावि, बावडी–जोधपुर को निलम्बित किया जाकर निलम्बन काल में मुख्यालय निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर किया गया। सूरज प्रकाश शर्मा ने अपने निलम्बन अवधि में 30 उपार्जित अवकाश देय नही दिये जाने के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी याचिका संख्या 5310/2020 सूरज प्रकाश शर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य में दायर की।

माननीय न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 11.09.2020 के क्रम में याचिकार्थी सूरज प्रकाश शर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निलम्बित अवधि में व्यतीत दो ग्रीष्म अवकाशों सत्र 2008–09 एवं 2009–10 के एवज में 30 उपार्जित अवकाश (प्रत्येंक सत्र के 15 उपार्जित अवकाश) का भुगतान करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

राजस्थान सेवा नियम 92(बी) के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अपने पत्रांक प.16(17)शिक्षा–2/98 दिनांक 02.05.2003 के अनुसार ग्रीष्मावकाश का उपभोग नही करने के एवज में उपार्जित अवकाश देय है। उक्त नियमानुसार ग्रीष्मावकाश में किसी कार्मिक द्वारा शैक्षिक कार्य अथवा कार्यालयी कार्य सम्पादन किया जाता है तो उसके कार्यदिवसों के एवज में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है। निलम्बित कार्मिक को निलम्बन अवधि मे किसी पद का कार्यभार नहीं होने पर उपार्जित अवकाश देय नही होता।

अतः याचिकार्थी द्वारा निलम्बन अवधि में उपार्जित अवकाश देय करने की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाये जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/अभ्यावेदन/सूरजप्रकाश/को.के/20–21 दिनांकः– 11/11/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जोधपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर